OFFICE FILE

6

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 438 सन 2018

अनवान :–

1. अमृतपालसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
2. हरजिन्द्रसिह पुत्र जीनसिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिह उर्फ मन्दरसिह पुत्र नक्षत्रसिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
2. जीनासिंह पुत्र नक्षत्रसिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
3. सिमरजीतसिह पुत्र महेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
4. दर्शनसिह पुत्र नक्षत्रसिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
5. हरप्रिन्द कौर पुत्री जीनासिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
6. तेज कोर पत्नी नक्षत्रसिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 52/45 के प0न0 300/383(25) के किला न0 17 ,18 ,20 ,21/1. 518हैक , प0न0 299/383(26) के किला न0 16 ,25/0.506हैक प0न0 299/384(30) के किला न0 6 ता 9 ,12 ता 19 व 25/3.2890हैक प0न0 300/384(31) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13 ,16 ता 23 कुल 4.2251हैक कुल 9.5381 हैक भूमि स्थित है जिसमें सुयक्त तौर से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 4 ता 6 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 127/104 के प0न0 299/283(26) के किला न0 10 ता 14 ,17 ता 24 प0न0 298/383(27) के किला न0 6 ,15 ,16 ,25/0.9108हैक प0न0 298/384(30) के किला न0 1 ता 5/1.1380 हैक कुल 5.3383हैक भूमि स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण सख्या 1 ,2 4 व 6 बहिब 59–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 33/29 के प0न0 296/383(28) के किला न0 1 ता 25/6.3250हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 4 व 6 बहिब 200 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा नक्षत्रसिह के नाम से दर्ज थी नक्षत्रसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से भूमि उनकी पत्नि तेजकोर व उनके तीन पुत्रगणों पर औद हुई जो वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार दर्ज है। विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 जो काफी वृद्व हो चुके है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official
A4

OFFICE FILE

के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 3 , 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,6 के के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्या वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,6 के पक्ष में किया हुआ है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी का काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 52/45 की कुल 9.5381हैक भूमि सुयक्त तौर से 1/5 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 88/46 की कुल 6.3250हैक में सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा दोनो खातेजात में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ,3 बहिब 15 हिस्सा भूमि एवं व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है रोही मोजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 127/104 की कुल 5.3383हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बहिब 19–11/15 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 19–11/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 19–11/15 हिस्सा व रोही मौजा चक 9 आरपीएम के खाता संख्या 33/29 की कुल 6.3250हैक भूमि में सयुक्त तौर से 200 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बहिब 133–1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 66–2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 66–2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAjay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

A4